

पुलिस जांच मारपीट की कर रही थी, हो गया गांजा तस्करी का खुलासा

► खजराना पुलिस ने 2 किलो गांजा के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार

► स्कॉर्पियो वाहन के साथ गिरफ्तार किया है. जब्त माल की कीमत 20.50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है.

इंदौर. खजराना पुलिस ने मारपीट के एक मामली केस की जांच करते हुए गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने आरोपी को 2 किलो से अधिक गांजा और स्कॉर्पियो वाहन के साथ गिरफ्तार किया है. जब्त माल की कीमत 20.50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है.

इंदौर पुलिस में बड़ा फेरबदल, 50 से अधिक जवानों के तबादले

► अलग-अलग थानों व इकाइयों में की अस्थाई तैनाती

नव भारत न्यूज
इंदौर. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) द्वारा शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. जारी

खेत में पोल गाड़ने को लेकर खूनी संघर्ष, कई घायल

► ग्राम सांतेर का मामला, पुलिस ने दर्ज किया क्रॉस प्रकरण

इंदौर. किशनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सांतेर में खेत की जमीन पर पोल (खंभे) गाड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. राधा कृष्ण मंदिर के सामने हुई इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एक-दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, एक पक्ष से रजत चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी श्रीकांत भागव, हर्ष भागव और जितेंद्र भागव ने जमीन पर पोल गाड़ने को लेकर विवाद

जमीन और पैसों के विवाद में मारपीट
इंदौर. सिमरोल थाना क्षेत्र के ग्राम बेरछा में जमीन की मिल्कियत और उधारी के रुपयों को लेकर एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. आरोपी ने न केवल मारपीट की, बल्कि फरियादी को दोबारा जमीन पर कदम रखने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी. पुलिस के मुताबिक, फरियादी अर्पित पिता पदम भाभर निवासी ग्राम बेरछा की रिपोर्ट पर आरोपी उदित पिता राजेश पटेल निवासी इंदौर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. अर्पित ने बताया कि आरोपी उदित ने जमीन पर अपना हक जताते हुए कहा कि एक बीघा जमीन मेरी है, तुम्हें 96 हजार रुपए दिए थे. इसी बात को लेकर आरोपी ने गालियां दीं और मारपीट शुरू कर दी.

महू में बार काउंसिल चुनाव को लेकर अभिभाषकों में उत्साह



महू. मध्य प्रदेश बार काउंसिल के निर्वाचन को लेकर मंगलवार सुबह से ही अभिभाषकों में ख़ासा उत्साह देखने को मिला. महू में 341 अभिभाषक मतदाता हैं. कोर्ट परिसर में मतदान के लिए बड़ी संख्या में अधिकता पहुंचे और शांतिपूर्ण ढंग से अपने मतधिकार का प्रयोग किया. मतदान केंद्र पर सुबह से ही अधिकताओं की कतार लग गई. निर्वाचन प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रशासन एवं चुनाव समिति द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गईं. कोर्ट परिसर के सामने जाने वाले मुख्य मार्ग को अस्थायी रूप से बंद रखा गया, ताकि मतदान प्रक्रिया प्रभावित न हो. वहीं, आमजन की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्गों से यातायात संचालित किया गया. अधिकताओं ने निर्वाचन प्रक्रिया में बड़-वढ़कर भाग लेते हुए निषेध एवं शांतिपूर्ण मतदान कराया. पूरे दिन कोर्ट परिसर में चुनावी माहौल बना रहा.

श्री एकेडमी की लाइब्रेरी को 100 पुस्तकें भेंट



महू. ग्राम कोदरिया स्थित विद्यालय श्री एकेडमी की लाइब्रेरी में आमी वार कॉलेज महू की काबेट लाइब्रेरी द्वारा विद्यार्थियों के उपयोग के लिए कहानी, उपन्यास, कविता, चित्रकारी, कंप्यूटर, प्रेरणादायक पुस्तकें सहित महापुरुषों की जीवनी की 100 पुस्तकें भेंट की. जिनका बाजार मूल्य लगभग 25 हजार रुपए है. यह पुस्तकें आमी वार कॉलेज की काबेट लाइब्रेरी की ओर से श्री अकादमी के डायरेक्टर राजेश पाटीदार को भेंट की गईं. श्री एकेडमी परिवार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में आमी वार कॉलेज के इस सामाजिक सहयोग के लिए धन्यवाद प्रेषित किया गया.



► आरोपी तस्कर पर दो दर्जन से अधिक केस हैं दर्ज

आरोपी वैभव बुंदेला उम्र 29 साल चित्रा नगर, विजय नगर क्षेत्र का रहने वाला है और पूर्व में उसके खिलाफ दो दर्जन से अधिक अपराध दर्ज हैं. पूछताछ में उसने बताया कि नशे की लत पूरी करने और पैसे कमाने के लिए वह सस्ते में गांजा खरीदकर महंगे दामों पर बेचता था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की के तहत केस दर्ज कर लिया है. मामले में आरोपी से रिमांड लेकर

सप्लाई नेटवर्क और अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है. साथ ही किरायेदार की जानकारी न देने पर मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है.

प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के कर्मचारियों को शामिल किया है. कई महिला पुलिसकर्मियों को भी अलग-अलग थानों में तैनात किया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह फेरबदल प्रशासनिक आवश्यकता और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है, जो आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा.



सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

ग्रामीण रोज़गार की नई गारंटी

विकसित भारत - जी राम जी एक्ट

1 जुलाई, 2026 से पूरे देश में लागू



रोज़गार गारंटी अब पहले से हुई बेहतर

रोज़गार की गारंटी और आजीविका विकास के अवसर

125 दिन का विश्वास पहले जैसा भरोसा, अब और बढ़ा

मज़दूरी का भुगतान अब 15 दिनों के भीतर

125 दिन की रोज़गार गारंटी 1 जुलाई, 2026 से



जल सुरक्षा एवं जल संबंधी कार्यों को मिलेगा बढ़ावा



गांवों में मज़बूत बुनियादी ढांचे का निर्माण



आजीविका के अवसरों का होगा विस्तार



प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं से बचाव की तैयारी



रोज़गार से विकसित गांव और विकसित गांव से विकसित राष्ट्र निर्माण